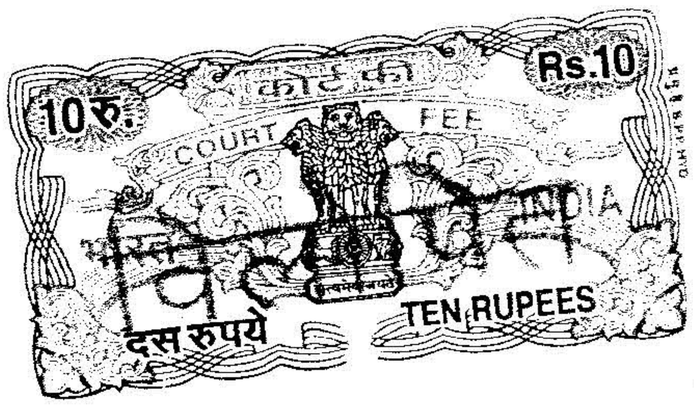

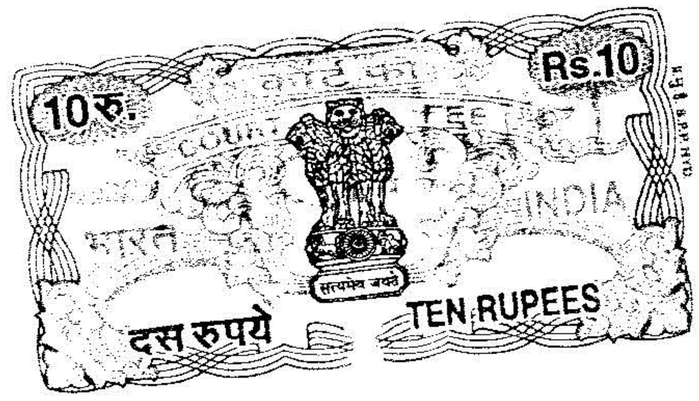

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

(5)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R. 2567-III/14

1– भगवानदास तनय दुर्गा यादव , 2– छिददू तनय मुलुवा सौंर ,

दोंनों निबासी ग्राम मनपसार , तह0 खरगापुर व जिला टीकमगढ़ ,

..............आवेदक

श्री रजनीश ... 6-9-14

6.9.14

विरूद्व

1– छन्नूलाल लोधी तनय बिन्द्रावन लोधी ,

2– बालचंद्र तनय अमान लोधी ,

दोंनों निबासी ग्राम नौरपारा तह0 खरगापुर व जिला टीकमगढ़ ,

3– म0प्र0 शासनद्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़,

.... प्रतिनिगराकार

6-9-14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना हैः–

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 11/स्व0 निगरानी/2013–14 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 25/08/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मनपसार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय बल्देवगढ़ द्वारा अपने प्र0 क0 01/अ–66/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20/05/2013 के पालन में ग्राम मनपसार की भूमि खसरा नं0 237 रकवा 0.454 है0 मद आवादी का बंटन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत ले आउट एवं उसमें दीं गई शर्तों के पालन में ग्राम पंचायत के भूमिहीनों एवं आवास हीन लोगों को किया गया था। उपरोक्त बंटन की किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई भी अपील या निगरानी

भगवानदास

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला टीकमगढ़

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2967–तीन / 14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–09–2014	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 11 / स्व.निगरानी / 2013–14 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25–08–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	
	2– अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि पर ग्राम नौरपारा तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ के लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं जबकि वास्तविक रूप से उक्त आवास हेतु सुरक्षित भूमि को ग्राम मनपसार तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ के आवासहीनों का हक बनता है अतः प्रकरण में लोकहित समाहित होना स्पष्ट है । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को आगामी आदेश तक के लिये स्थगित किया है, जो उचित है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।	
	प्रशासकीय सदस्य	